न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर

पीठासीन अधिकारी : दाताराम आर.ए.एस.

अपील सं. 92/2018 (225 आरटीए) मानाराम वगै. बनाम नवलाराम वगै.

(ऑनलाइन प्रकरण सं. 2018/00197)

1 मानाराम पुत्र जेठाराम,

2 बाबूलाल पुत्र नेनाराम

दोनो जाति प्रजापत, निवासीगण ग्राम पुनासर खुर्द, तहसील बापिणी जिला जोधपुर।

..... अपीलांट्स

बनाम

1 नवलाराम पुत्र जेठाराम,

2 शेराराम पुत्र जेठाराम

दोनों जाति प्रजापत, निवासी गण ग्राम पुनासर तहसील बापिणी जिला जोधपुर।

3 राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार बापिणी जिला जोधपुर।

..... रेस्सपोडेंट्स

अपील अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
विरुद्ध आदेश सहायक कलेक्टर ओसियां
दिनांक 28.05.2018 अंतर्गत राजस्व प्रार्थना पत्र सं. 73/2018

उपस्थित :

1 अपीलांट की ओर से अधिवक्ता श्री रोशनलाल विश्नोई।

2 रेस्पो सं. 2 की ओर से अधिवक्ता श्री रुघाराम चौधरी।

3 रेस्पोडेंट सं. 3 की ओर से राजकीय अधिवक्ता श्री दूदाराम चौधरी।

4 रेस्पो. सं. 1 बावजूद सूचना अनुपस्थित।

निर्णय

दिनांक : 13.07.2018

1. यह अपील अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत सहायक कलेक्टर ओसियां के राजस्व प्रार्थना पत्र सं. 73/2018 में पारित आदेश दिनांक 28.05.2018 के विरुद्ध इस न्यायालय में पेश की गई

है।

2. अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलेक्टर ओसियां के समक्ष रेस्पो. सं. 1 व 2 द्वारा एक वाद अंतर्गत धारा 53, 88 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का अपीलार्थीगण के विरुद्ध पेश किया जिसके साथ में धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत राजस्व प्रार्थना पत्र सं. 73/2018 पेश किया कि अपीलार्थीगण व प्रत्यर्थीगण की सहखातेदारी की कृषि भूमि ग्राम पुनासर खुर्द तहसील बापिणी, जिला जोधपुर के खसरा नं. 530 रकबा 12 बिस्वा, खसरा नं. 531 रकबा 14 बीघा 15 बिस्वा, खसरा नं. 533 रकबा 24 बीघा 15 बिस्वा, खसरा नं. 534 रकबा 30 बीघा, खसरा नं. 535 रकबा 102 बीघा 16 बिस्वा स्थित है जो उनके पूर्वज जेठाराम की थी तथा तत्पश्चात अपीलार्थीगण व प्रत्यर्थीगण के प्रत्येक का 1/4 हिस्से में आई हुई है। संयुक्त रूप से खाता होने के कारण व पक्षकारों के मध्य बंटवाड़ा नहीं होने के कारण मौके पर विवाद बना रहता है इसलिए बंटवारा कराना चाहते हैं तथा वाद के लंबित रहने तक उपरोक्त खसरान की मौके व राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनाए रखे जाने का निवेदन किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रत्यर्थीगण की एकतरफा बहस सुनते हुए दिनांक 28.05.2018 को बिना नोटिस जारी किए ही विवादित खसरान में प्रत्यर्थीगण के हिस्से की भूमि तक के मौके एवं राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनाए रखे जाने का आदेश पारित किया गया जिससे व्यथित होकर अपीलार्थीगण द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 28.05.2018 के विरुद्ध इस न्यायालय में अपील पेश की गई है।

3 उक्त अपील दर्ज की जाकर रेस्पों. को जरिए सम्मन तलब किया गया। एवं अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख प्राप्त नहीं हुआ है लेकिन उभयपक्षकारान बिना अभिलेख के ही प्रकरण में बहस करने हेतु सहमत हुए। प्रकरण की प्रकृति को देखते हुए भी अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली की आवश्यकता इस प्रकरण में पक्षकारान के मध्य सहमति होने से आवश्यक नहीं हैं अतः उभयपक्ष अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।

4 अपीलांट की ओर से अधिवक्ता श्री रोशनलाल विश्नोई ने अपील मीमो में वर्णित कथन को दोहराते हुए बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित करने में भारी विधिक एवं तथ्यात्मक भूल की है। अपीलार्थीगण व प्रत्यर्थीगण सह खातेदार हैं तथा माननीय राजस्व

मण्डल द्वारा प्रतिपादित सिद्धांतों के अनुसार सहखातेदार के विरुद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती है इस कारण भी अधीनस्थ न्यायालय का आदेश अपास्त व निरस्त किए जाने योग्य है। प्रत्यर्थीगण द्वारा मात्र अपीलार्थीगण को खेती कार्य रोकने व मौके पर कृषि विकास कार्य करने से रोके जाने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया अतः अपीलाधीन आदेश अपास्त व निरस्त किए जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अस्थाई निषेधाज्ञा के तीनों बिंदुआ पर विचारण व उनका निस्तारण किए बिना ही आलोच्य आदेश पारित किया है जो निरस्त योग्य है। इस आदेश की आड़ में अपीलार्थीगण को उनके कब्जे व काश्त की भूमि पर खेती व कृषि कार्य से रोका जा रहा है जिससे मौके पर खड़ी फसल सिंचाई के अभाव में जल कर नष्ट हो रही है जबकि आलोच्य आदेश में कृषि विकास कार्य करने व रोके जाने के संबंध में नहीं हैं। आलोच्य आदेश सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 39 नियम 3 व 3ए की पालना किए बगैर पारित किया गया है जो प्रथम दृष्टया ही विधिक प्रावधानों की अवहेलना होने के कारण अपास्त व निरस्त किए जाने योग्य है। अतः अपील स्वीकार कर अपीलाधीन आदेश दिनांक 28.05.2018 को अपास्त व निरस्त करने का निवेदन किया।

5 रेस्पो सं. 2 की ओर से अधिवक्ता श्री रुघाराम चौधरी ने बहस में कथन किया कि अपील में अपीलांट कोर्ट को यह देखना है कि अधीनस्थ न्यायालय ने क्या गलती की है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष ट्यूबवैल व कृषि कार्य संबंधी कोई प्लीडिंग नहीं थी न ही इस संबंध में कोई आवेदन पत्र पेश किया इसलिए अपील में नया ग्राउण्ड नहीं लिया जा सकता। अपीलांट की ओर से कोई काउंटर क्लेम भी पेश नहीं किया। अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय ने अपना कोई पक्ष पेश नहीं किया है जबकि अपीलांट अधीनस्थ न्यायालय में अस्थाई निषेधाज्ञा बाबत काउंटर प्रार्थना पत्र भी पेश कर सकते थे। अतः अपील खारिज करने का निवेदन किया।

6 रेस्पोडेंट सं. 3 की ओर से राजकीय अधिवक्ता श्री दूदाराम चौधरी ने बहस में कथन किया कि प्रकरण में राजकीय हित निहित नहीं हैं अतः उचित निर्णय पारित करने का निवेदन किया।

7 उभयपक्ष के अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख का आद्योपांत गंभीरतापूर्वक अध्ययन किया गया।

8 इस प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 28.05.2018 को एक पक्षीय अंतरिम स्थगन आदेश आगामी तारीख पेशी दिनांक 16.07.2018 तक जारी

किया है जो 30 दिन की अवधि से अधिक है तथा अप्रार्थीगण को सामान्य तरीके से सम्मन जारी किए गए हैं। आलोच्य आदेश सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 39 नियम 3 व 3ए की पालना किए बगैर पारित होना पाया जाता है। अतः प्रस्तुत अपील इस न्यायालय में मैंटेनेबल है।

9 अधीनस्थ न्यायालय ने एक पक्षीय आदेश के जरिए केवल अप्रार्थीगण को पाबंद किया है कि आगामी पेशी तक प्रार्थीगण के हक व हिस्से तक भूमि पर मौके व रेकर्ड की यथास्थिति बनाए रखें। उपलब्ध रिकार्ड व बहस से यह स्पष्ट है कि वादग्रस्त भूमि संयुक्त खातेदारी की भूमि है ऐसी स्थिति में अपीलांट को बिना सुने एक पक्षीय अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। अतः अपीलाधीन आदेश खारिज किए जाने योग्य है।

10 अतः अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलेक्टर ओसियां का अपीलाधीन आदेश दिनांक 28.05.2018 निरस्त किया जाता है। प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि उभयपक्षकारान को पूर्ण सुनवाई का अवसर देते हुए प्रकरण का एक माह की अवधि में गुणावगुण पर निस्तारण किया जाना सुनिश्चित करें।

13/7/18

(दाताराम)
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

11 निर्णय आज दिनांक 13.07.2018 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

13/7/18

(दाताराम)
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर